सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –73/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

नन्दा पुत्र नाथू जाति हरिजन निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

राज.सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–25.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कणोज में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि **वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी के खाता स. 169 के खसरा नम्बर 166,172 कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 है**. भूमि वादी के नाम खातेदार दर्ज है एवं कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी के अलावा किसी अन्य दीगर व्यक्ति का हक व अधिकार नहीं है। वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट कणोज में पेश हुई । वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली में सरकार जवाब तहसीलदार केकडी से प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया । तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का कब्जा है अतः पत्थरगढी किया जाना उचित बताया है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके **ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी के खाता स. 169 के खसरा नम्बर 166,172 कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 है**. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी